रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052021-227173 CG-DL-E-25052021-227173

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1872] No. 1872] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 25, 2021/ज्येष्ठ 4, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 25, 2021/JYAISHTHA 4, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2021

का.आ. 2009(अ).—यत:, मै. सी.सी.एल प्रोडक्टस (इंडिया) लिमिटेड, ने आंध्र प्रदेश राज्य के कुवाकोल्ली गाँव, वारादाया पलेम मंडल, जिला चित्तूर में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1035(अ) दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 11.879 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. सी.सी.एल प्रोडक्टस (इंडिया) लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 1.895 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके इसे अनुमोदित कर दिया है और दिनांक 20 मई, 2021 को अपनी सहमति से अवगत करा दिया हैं;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 1.895 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 13.774 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्यायें और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्ः-

अतिरिक्त क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	कुवाकोल्ली	274/1	0.300
2.		275/1	0.130

2798 GI/2021 (1)

3.		277/1	0.194
4.		278/1	0.202
5.		280/1	0.328
6.		280/2	0.164
7.		280/3	0.164
8.		309/1बी	0.413
	বৃ	1.895	
	उपयुक्त जोड़ के पश्चात्	13.774	

[फा. सं. एफ.1/32/2016-एसईजेड] अमिताभ कमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2021

S.O. 2009(E).—Whereas, M/s. CCL Products (India) Limited, has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up an Agro based Food Processing Special Economic Zone at Kuvakolli Village, Vardaiah Palem Mandal, Chittoor District, in the State of Andhra Pradesh;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 11.879 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1035(E) dated 31st March, 2017;

AND, WHEREAS, M/s. CCL Products (India) Limited has now proposed for include addition area of 1.895 hectares area as a part of above Special Economic Zone and the Central Government after considering the said proposal approved and conveyed it on 20th May, 2021;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of 1.895 hectares, as a part of above Special Economic Zone, thereby making the total area of the Special Economic Zone as 13.774 hectares, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely: -

TABLE FOR ADDITIONAL AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area (in Hectares)
1.	Kuvakolli	274/1	0.300
2.		275/1	0.130
3.		277/1	0.194
4.		278/1	0.202
5.		280/1	0.328
6.		280/2	0.164
7.		280/3	0.164
8.		309/1B	0.413
	Total	1.895	
	Grand Total Area of SEZ after a	13.774	

[F. No. F.1/32/2016-SEZ]

AMITABH KUMAR, Jt. Secy.